क्रम-संख्या–21(क)

रजिस्ट्रेशन नम्बर–एस0एस0पी0/एल0-डब्लू/एन0पी0–91/2014–16

लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–4, खण्ड (ख)

(परिनियत आदेश)

लखनऊ, सोमवार, 12 जनवरी, 2026

पौष 22, 1947 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

परिवहन अनुभाग–2

———

संख्या 04/2026/02/30-2–2026-60एन-73

लखनऊ, 12 जनवरी, 2026

———

अधिसूचना

प0आ0–10

चूँकि राज्य सरकार को यह समाधान हो गया है कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक और समीचीन है।

अतएव, अब, उत्तर प्रदेश अत्यावश्यक सेवाओं का अनुरक्षण अधिनियम, 1966 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 30 सन् 1966) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल इस आदेश के प्रकाशन के दिनांक से 06 माह की अवधि के लिए उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के अधीन समस्त सेवाओं में, जिन्हें सरकारी अधिसूचना संख्या 5447/30–2–60एन/73 दिनांक 31 अक्टूबर, 1983 द्वारा उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए अत्यावश्यक सेवाएं घोषित किया गया है, हड़ताल निषिद्ध करती हैं।

2– उक्त धारा की उपधारा (2) के अधीन राज्यपाल यह भी आदेश देती हैं कि यह आदेश गजट में प्रकाशित किया जाय।

आज्ञा से,

अर्चना अग्रवाल,

अपर मुख्य सचिव।

In pursuance of the provision of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 04/2026/02/ XXX-2–2026-60N-73, dated January 12, 2026:

No. 04/2026/02/ XXX-2–2026-60N-73

Dated Lucknow, January 12, 2026

Whereas, the State Government is satisfied that in public interest it is necessary and expedient so to do.

Now, Therefore, in exercise of the power under sub-section (1) of Section 3 of the Uttar Pradesh Essential Services Maintenance Act, 1966 (U.P.Act no.XXX of 1966) the Governor is pleased to order that during a period of six months from the date of publication of the order strikes are prohibited in the services under the Uttar Pradesh State Road Transport Corporation, which have been declared as essential services for the purpose of said Act by Government notification no 5447/XXX-2-60N-73, dated October 31, 1983.

2. Under sub-section (2) of the said section, the Governor is further pleased to direct that this order shall be published in the *Gazette.*

By order,

ARCHANA AGRAWAL,

Apar Mukhya Sachiv.

पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 347 राजपत्र–2026–(1039)–599+25=624 प्रतियां–(डी0टी0पी0 / ऑफसेट)।

347 RPH 2026 (Parivahan -2) data 1e